न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

34

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 222–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 64/अ–27/2014–15.

.....

राजेश पिता सुरेशचन्द्र
निवासी देदला तहसील व जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

अर्चना पिता स्व0सुरेशचन्द्र
निवासी ग्राम जानसुर जिनवानी
तहसील कन्नोद जिला देवास

..... अनावेदिका

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री टी0टी0गुप्ता अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील व जिला धार के समक्ष अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत ग्राम देदला तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 38/1, 38/2, 40, 93/1, 359/3,

422/5 कुल किता 6 कुल रकबा 1.951 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 64/अ–27/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, अतः तीन माह तक कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–1–2016 को अंतरिम आदेश पारित आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 एवं संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर तीन माह के लिये बटवारे की कार्यवाही स्थगित कर व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये जाने का प्रावधान है । उक्त आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना कर तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) उभयपक्ष के पिता स्व0 सुरेशचंद का स्वर्गवास होने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर 1/2 – 1/2 भाग पर उभयपक्ष का नामान्तरण हो गया है और वे प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार है इस कारण स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है इसलिये तीन माह तक कार्यवाही स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं होने से तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है।

(2) उभयपक्ष के मध्य संबंधित विषय पर कोई भी व्यवहार वाद पूर्व से लंबित नहीं है इस कारण भी आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा उचित कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा तीन माह का स्थगन चाहा गया था । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–1–2016 को आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, तब से अब तक आवेदक को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर मिल चुका है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर